

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:एफ6 (179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/7सी

दिनांक: 17.05.2001

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 6 (179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/7बी दिनांक 31.03.2001 में 1.4.2001 से, इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में संलग्न सारणी के कॉलम नम्बर 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "2.5 %" के स्थान पर अभिव्यक्ति "2.1 %" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव